ऑन लाईन नं. **RCMS 2022/231**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 24/2022

1. नायब सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत हाकमाबाद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. जगदीश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित : 1. श्री बलविन्द्र सिंह बराड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03–04

::आदेश:: **दिनांकः 23.11.2022**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानीकर्ता गांव हाकमाबाद तहसील सादुलशहर का स्थायी निवासी है तथा उसके द्वारा ग्राम पंचायत हाकमाबाद से जरिये पट्टा दिनांक 05.07.1984 के भूखण्ड संख्या बी–49 व बी–50 प्रत्येक पैमाइशी 75X60 फीट नीलामी आम में खरीदकर राशि जमा करवाकर तब से लेकर अब तक काबिज चला आ रहा है तथा समय समय पर देखभाल भी करता आया है, भूखण्ड संख्या बी–50 में निर्माण कार्य करवाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा बी--49 में कृषि उपकरण रखे जाते है तथा पशुओं को बांधने आदि के लिए भी आवश्यक निर्माण किया हुआ है, अब अप्रार्थीगण 3,4 के द्वारा निगरानीकर्ता के भूखण्ड बी--49 पर जबरन कब्जा करने व अवैध निर्माण करने के लिए निर्माण सामग्री डलवाने पर जब निगरानीकर्ता ने रोका तो अप्रार्थीयान 3,4 ने कहा कि उन्होने ना केवल निगरानीकर्ता के भूखण्ड बी–49 पैमाईशी 75X60 फीट की जगह को 64X57 फीट का दर्शाकर व साथ लगते सी–150 पैमाइशी 60X60 फीट को भी 64X57 फीट दर्शाकर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टे जारी करवा लिये है, जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत हाकमाबाद से रिकॉर्ड की नकलें लेने चाही तो नकलें नहीं दी गई, छानबीन करने पर अवैध निर्माण को रूकवाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की गई तथा इसी बीच में यह कानूनी राय मिली की पट्टो को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाना आवश्यक है, इस पट्टो

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की प्रमाणित प्रतियां उप पंजीयक कार्यालय सादूलशहर से दिनांक 12.08.2022 व 18.08.2022 को प्राप्त की तथा यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है :–

1. यह भी अप्रार्थी संख्या 4 के हक में जारी पट्टा जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है का मिलान निगरानीकर्ता के नाम जारी पट्टा दिनांक 05.07.1984 से किया जावें तो यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–49 वाके चक हाकमाबाद तहसील सादुलशहर पैमाइशी 75X60 की जगह 64X57 फीट का दर्शाकर पट्टा जारी करवाया गया है जो कि गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है क्योंकि निगरानीकर्ता का पट्टा दिनांक 05.07.1984 ना तो आज तक किसी सक्षम न्यायालय से चुनौती देकर निरस्त करवाया गया तथा ना ही निगरानीकर्ता ने अपने इस भूखण्ड की किसी जगह को कभी किसी व्यक्ति को किसी तरह से मुतकिल किया है, इस प्रकार निगरानीकर्ता का पट्टा बी–49 प्रभावशील होते हुए व कब्जा निगरानीकर्ता का होते हुए गलत तौर से पट्टा अप्रार्थी संख्या 04 के नाम जारी किया गया है जो कि निरस्तनीय है। प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा दिनांक 05.03.2019 शामिल है।
2. यह कि इसी प्रकार से निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–49 व बी–50 के उत्तर में साथ लगते भूखण्ड संख्या सी–150 व सी–151 जिनके पट्टे कालांतर में दिनांक 05.07.1984 को ही दर्शन सिंह पुत्र जगर सिंह के नाम जारी है, पट्टा का नकल शामिल है का मिलान किया जावें तो यह स्पष्ट है कि बी–49 व बी–50 के साथ ही दर्शन सिंह के भूखण्ड सी–150 व सी–151 साथ लगते हुए है, इस प्रकार चारों प्लाटों की एक चौकडी के रूप में दर्शाया हुआ है। बी–49 व बी–50 के दक्षिण में गली है जबकि सी –150 व सी–151 के उत्तर में गली दर्शायी हुई है, इस प्रकार सी–150 पैमाइशी 60X60 की जगह को 64X57 का भूखण्ड दर्शाकर दिनांक 05.03.2019 को ही अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी किया गया है जबकि भूखण्ड संख्या सी–150 का पट्टा 05.07.1984 भी कभी किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया। इस प्रकार भूखण्ड संख्या बी–49 पैमाइशी 60X75व साथ लगते उत्तर दिशा में सी–150 पैमाइशी 60X60 फीट दोनों की लम्बाई मिलाने पर 135 फीट बनती है के स्थान पर अप्रार्थीयान 3,4 के नाम जो पट्टे जारी किये गये है उनकी लम्बाई 128 व चौडाई 57 फीट बनती है जिससे स्पष्ट है कि बी–49 व सी–150 दोनों आंशिक जगह के पट्टे अप्रार्थीगण 3 व 4 के नाम जारी किये गये है जो कि स्पष्ट तौर से अवधिक होने से निरस्तनीय है क्योंकि इन दोनों प्लाटों बी–49 व सी–150 को इक्टठे मिलाने पर दक्षिण व उत्तर में गली दर्शायी हुई है जबकि अप्रार्थीयान के नाम जारी पट्टे संख्या 27 व 26 दिनांक 05.03.2019 की पुश्त पर जो आसा पासा दर्ज किया गया है, दोनों को एक साथ मिलाने पर 128 फीट लम्बाई बनती है व एक के उत्तर में व दूसरे के दक्षिण में गली दर्शायी गई है। अतः पूर्व में जारी पट्टे दिनांक 05.07.1984 का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि गलियों का मिलान भी नहीं होता है क्योंकि दिनांक 05.07.1984 को जारी पट्टे बी–49 व सी–150 दोनों की लमबाई 135 फीट बनती है व दोनों को साथ मिलाने पर दक्षिण व उत्तर में गली दर्शायी हुई है जबकि अप्रार्थी संख्या 3,4 के नाम जारी पट्टे संख्या 26 व 27 की दिनांक 05.03.2019 को इक्टठा कर मिलाने करने पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दोनों की लम्बाई 128 फीट बनती है व इसमें भी दोनों तरफ उत्तर व दक्षिण में गली दर्शायी हुई है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टे गलत जारी किये गये है तथा निरस्तनीय है, चूंकि निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–49 की जगह का गलत पट्टा जारी किया गया है। अतः उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव होने से यह निगरानी पेश करने का अधिकारी है। निगरानीकर्ता को अप्रार्थीयान 3,4 व 1,2 व अन्यों के द्वारा कूटरचित रिकॉर्ड बनाने की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता के पुत्र के माध्यम से फौजदारी मुकदमा भी किया गया है।

3. यह कि ग्राम पंचायत हाकमाबाद के सरपंच किरणजीत कौर पत्नी करणदीप सिंह है जबकि समस्त पंचायत की कार्यवाही उसके पति करणदीप सिंह पुत्र लाभ सिंह द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण 3,4 के हक में जारी पट्टे से पूर्व ना तो पंचायत की कोई वास्तव में मीटिंग बुलाई गई , ना ही कथित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2019 पारित किया गया, ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया, ना ही किसी कमेटी से जांच करवायी गई, ना ही भूखण्डों के पूर्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया अर्थात दिनांक 05.07.1984 को जारी पट्टो के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया , ना ही कोई आपत्ति सूचना जारी की गई, ना ही गांव में ढोल मुनियादी करवायी गई, ना ही कोई आपत्ति सूचना पेश करने का अवसर दिया गया, कानूनन भी एक पट्टा के प्रभावशील होते हुए उसी जगह का नया पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, अप्रार्थी संख्या 3,4 के हक में जारी पट्टो का अवलोकन किया जावे तो यह पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)के अन्तर्गत जारी किये गये है अर्थात पुराने कब्जा के आधार पर जारी किये गये है, जबकि पुराने कब्जा के आधार पर नियमन करने पर 200/–रूपया निर्धारित राशि जमा करवाना आवश्यक होता है जबकि अप्रार्थीयान के पट्टो का अवलोकन किया जावें तो इसमें रसीद संख्या 3 व 4 दिनांक 20.05.2019 को प्रत्येक से 12875/–रूपया जमा करवाने का दर्ज किया गया है, जब पट्टे दिनांक 05.03.2019 को जारी किये गये तो राशि दिनांक 20.05.2019 को किस आधार पर जमा हुई अथवा करवायी गई कतई स्पष्ट नहीं है, पट्टा संख्या 27 जो अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जारी किया गया है व पट्टा संख्या 26 जो अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी किया गया है के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि यह मिलीभगत करके जारी किया गया है व जारी करवाये गये है, पट्टा संख्या 27 की पुश्त पर मोहर लगी हुई है कि विवाद की स्थिति में पट्टा निरस्त माना जावेगा जबकि पट्टा संख्या 26 पर भी इस प्रकार की मोहर है। इस प्रकार दोनों पट्टे विवादित है तथा निरस्त करने योग्य है।

4. ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कोई विधिक प्रकिया अपनायी गई बल्कि साजिश रचकर निगरानीकर्तागण को अनुचित हानि पहुंचाने के लिए उपरोक्त पट्टे जारी किये गये है जोकि निरस्तनीय है।

5. यह कि अप्रार्थीयान 3,4 द्वारा अवैध निर्माण करने का प्रयास करने पर और रोकने पर तथा छानबीन करने पर पट्टो की जानकारी हुई व नकलें मिलने पर बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है। कानून में निगरानी की कोई मियाद नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय सोमोटिव जानकारी होने पर अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर भी पट्टा का रिकॉर्ड मंगवाकर उसकी वैधता की जांच कर पट्टा को निरस्त कर सकती है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर कथित पट्टा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

संख्या 26 बुक नम्बर 188 न्याय आपके द्वार 2018 दिनांक 05.03.2019 जो अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी किया गया व पट्टा संख्या 27 बुक नम्बर 188 दिनांक 05.03.2019 जो अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जारी किया गया के रिकॉर्ड मंगवाकर दोनों पट्टो को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता गांव हाकमाबाद तहसील सादुलशहर का स्थायी निवासी है। उसके द्वारा ग्राम पंचायत हाकमाबाद से पट्टा दिनांक 05.07.1984 के भूखण्ड संख्या बी–49 व बी–50 प्रत्येक पैमाइशी 75X60 फीट नीलामी आम में खरीदकर राशि जमा करवाकर तब से लेकर अब तक काबिज चला आ रहा है। भूखण्ड संख्या बी–50 में निर्माण कार्य करवाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा बी–49 में कृषि उपकरण रखे जाते है तथा पशुओं को बांधने आदि के लिए भी आवश्यक निर्माण किया हुआ है। निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–49 पैमाइशी 75X60 की जगह गैरनिगरानीकर्ता द्वारा 64X57 फीट का दर्शाकर पट्टा जारी करवाया गया है जो कि गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है क्योंकि निगरानीकर्ता का पट्टा दिनांक 05.07.1984 ना तो आज तक किसी सक्षम न्यायालय से चुनौती देकर निरस्त करवाया गया। निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–49 व बी–50 के उत्तर में साथ लगते भूखण्ड संख्या सी–150 व सी–151 जिनके पट्टे कालांतर में दिनांक 05.07.1984 को ही दर्शन सिंह पुत्र जगर सिंह के नाम जारी है,का मिलान किया जावें कि बी–49 व बी–50 के साथ ही दर्शन सिंह के भूखण्ड सी–150 व सी–151 साथ लगते हुए है। प्लाट संख्या बी–49 व बी–50 के दक्षिण में गली है जबकि सी –150 व सी–151 के उत्तर में गली दर्शायी हुई है। इस प्रकार सी–150 पैमाइशी 60X60 की जगह को 64X57 का भूखण्ड दर्शाकर दिनांक 05.03.2019 को ही अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी किया गया है जबकि भूखण्ड संख्या सी–150 का पट्टा 05.07.1984 को भी किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया। भूखण्ड संख्या बी–49 पैमाइशी 60X75 व साथ लगते उत्तर दिशा में सी–150 पैमाइशी 60X60 फीट दोनों की लम्बाई मिलाने पर 135 फीट बनती है के स्थान पर अप्रार्थीयान 3,4 के नाम जो पट्टे जारी किये गये है उनकी लम्बाई 128 व चौडाई 57 फीट बनती है जिससे स्पष्ट है कि बी–49 व सी–150 दोनों आंशिक जगह के पट्टे अप्रार्थीगण 3 व 4 के नाम जारी किये गये है जो कि स्पष्ट तौर से अवधिक होने से निरस्तनीय है। निगरानीकर्ता को पूर्व में जारी पट्टे दिनांक 05.07.1984 का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि गलियों का मिलान भी नहीं होता है क्योंकि दिनांक 05.07.1984 को जारी पट्टे बी–49 व सी–150 दोनों की लम्बाई 135 फीट बनती है व दोनों को साथ मिलाने पर दक्षिण व उत्तर में गली दर्शायी हुई है जबकि अप्रार्थी संख्या 3,4 के नाम जारी पट्टे संख्या 26 व 27 की दिनांक 05.03.2019 को इक्टठा कर मिलाने करने पर दोनों की लम्बाई 128 फीट बनती है व इसमें भी दोनों तरफ उत्तर व दक्षिण में गली दर्शायी हुई है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टे गलत जारी किये गये है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 04 के द्वारा कूटरचित रिकॉर्ड बनाने की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता के पुत्र के द्वारा फौजदारी मुकदमा भी करवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण 3,4

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के हक में जारी पट्टे से पूर्व ना तो पंचायत की कोई वास्तव में मीटिंग बुलाई गई , ना ही कथित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2019 पारित किया गया, ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया, ना ही किसी कमेटी से जांच करवायी गई, ना ही दिनांक 05.07.1984 को जारी पट्टो के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया , ना ही कोई आपत्ति सूचना जारी की गई, ना ही गांव में ढोल मुनियादी करवायी गई, ना ही कोई आपत्ति सूचना पेश करने का अवसर दिया गया, कानूनन भी एक पट्टा के प्रभावशील होते हुए उसी जगह का नया पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3,4 को पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)के अन्तर्गत पट्टे जारी किये गये है अर्थात पुराने कब्जा के आधार पर जारी किये गये है, जबकि पुराने कब्जा के आधार पर नियमन करने पर 200/– रूपये निर्धारित शुल्क जमा करवानी होती है जबकि गैरनिगरानीकर्ता से रसीद संख्या 3 व 4 दिनांक 20.05.2019 द्वारा प्रत्येक से 12875/–रूपया जमा करवाये गये है। गैरनिगरानीकर्तागण को पट्टे दिनांक 05.03.2019 को जारी किये गये है जबकि राशि दिनांक 20.05.2019 करवाई गई किस नियम के तहत जमा करवाई गई है। पट्टा संख्या 27 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 के नाम व पट्टा संख्या 26 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम जारी किये गये है के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि यह मिलीभगत करके जारी करवाये गये है, पट्टा संख्या 26 व 27 की पुश्त पर मोहर लगी हुई है कि विवाद की स्थिति में पट्टा निरस्त माना जावेगा । इस प्रकार दोनों पट्टे विवादित है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3,4 द्वारा अवैध निर्माण करने का प्रयास करने पर और रोकने पर तथा छानबीन करने पर पट्टो की जानकारी हुई व नकलें मिलने पर बिना किसी देरी के निगरानी पेश की गई है। कानून में निगरानी की कोई मियाद नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय सोमोटिव जानकारी होने पर अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर भी पट्टा का रिकॉर्ड मंगवाकर उसकी वैधता की जांच कर पट्टा को निरस्त कर सकती है। अतः निगरानी अन्दर मियाद मानी जावें। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कथित पट्टा संख्या 26 बुक नम्बर 188 न्याय आपके द्वार 2018 दिनांक 05.03.2019 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम जारी किया गया व पट्टा संख्या 27 बुक नम्बर 188 दिनांक 05.03.2019 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 के नाम जारी किया गया को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.जे.टी. 2017(3) पेज– 1995
2. डी.एन.जे.(राज.) 1998 पेज– 560 (राज0 हाईकोर्ट निर्णय)
3. डी.एन.जे.(राज.) 1995 पेज– 458
4. डी.एन.जे. 2022(1) राज. पेज– 243
5. डी.एन.जे. 2019(2) राज. पेज– 570
6. डी.एन.जे. 2018(1) राज. पेज– 111
7. डी.एन.जे. 2022(3) राज. पेज– 869
8. आर.एल.डब्ल्यू 2010(4)राज.पेज– 3575

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथम दृष्टया निगरानी चलने योग्य नहीं है। अवैध निगरानी चलने योग्य है या नहीं साबित करने का अधिकार निगरानीकर्ता का है। पट्टा रजि. होने पर सुनने का क्षेत्राधिकारी श्रीमान न्यायालय को नहीं है। रजि0 पट्टा को सुनने का क्षेत्राधिकार सीविल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय को है ,जिसके पट्टा के विरूद्व निगरानी पेश की है वह फोटो प्रति है। फोटो प्रति पर निगरानी पेश नहीं की जा सकती। निगरानीकर्ता द्वारा दो पट्टो की एक निगरानी एक साथ पेश की है जबकि अलग–अलग आदेश के विरूद्व अलग–अलग निगरानी पेश करनी चाहिए थी, जिस कारण निगरानी चलने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मियाद से बाहर पेश की गई, निगरानीधीन पट्टा 05.03.2019 को जारी किया गया है जबकि निगरानी 2022 में पेश की गई है इसलिए निगरानी मियाद के बाहर है। निगरानी निरस्त फरमाई जावें। इसी सम्पति को लेकर सीविल न्यायालय में दावा पेश किया हुआ है जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की है। निगरानी में भी निगरानीकर्ता वही रीलिफ मांग रहे है जो सीविल न्यायालय में विचाराधीन दावा में मांग रहे है। इसलिए सीविल न्यायालय में दावा पेश करने के बाद श्रीमान न्यायालय में निगरानी पेश नहीं की जा सकती। इसलिए निगरानी खारिज फरमाई जावें। गैरनिगरानीकर्ता को मौके पर कब्जे के आधार पर पट्टा आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करते समय निगरानीकर्ता द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। इसलिए गैरनिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह सही जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की :–

1. डी.एन.जे. 2021 (1) (राज.) पेज– 186
2. (2016) 2 आरएलडब्ल्यू पेज– 985
3. डी.एन.जे. 2014(4) (राज.) पेज– 1554
4. आर.बी.जे. (21) 2014 पेज–42
5. डी.एन.जे. 2021 (2) रेवेन्य पेज– 1453
6. डी.एन.जे. 2009 (एस.सी.) पेज– 1094

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा अहाता संख्या बी–49 व बी–50 जो नायब सिंह पुत्र जगर सिंह को दिनांक 05.06.1984 का पट्टा निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया। ग्राम पंचायत हाकमा बाद की सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा की प्रमाणित प्रति जारी है, के अवलोकन से पाया गया कि पट्टा निगरानीकर्ता द्वारा निलामी से क्रय किया गया है जिसकी राशि जमा होने के उपरान्त पूर्ण कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। इसलिए इसकी वैद्यता प्रमाणित होती है। **निगरानीकर्ता को आवंटित उक्त अहाता का पट्टा दिनांक 05.06.1984 को जारी किया जा चुका है तो वर्ष 2019 में पुनः उसी अहाता का कथित पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत हाकमाबाद के द्वारा उपलब्ध कराए रिकॉर्ड में कार्यवाही रजिस्टर (05.02.2019 से 21.12.2020) में दिनांक 05.03.2019 को जारी आबादी भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है एवं दिनांक 05.03.2019 ग्राम पंचायत का इस आश्य का कोई संकल्प भी नहीं है। दिनांक 05.03.2019 के कार्यवाही रजिस्ट्रर के प्रस्ताव संख्या 04 में यह अंकन किया गया है कि जिन व्यक्तियों के रिहायशी पट्टे हेतु आवेदन शुल्क एवं नियमन फीस जमा करवा दी गई है उन लाभार्थियों को पट्टे**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जारी कर दिये जावें जबकि गैरनिगरानीर्ता संख्या 03 व 04 को पट्टा दिनांक 05.03.2019 को जारी किया गया है एवं पट्टा नियमन शुल्क दिनांक 20.05.2019 को रसीद संख्या 03 व 04 (रोकड़ बुक अनुसार) द्वारा जमा करवाये गये है। गैरनिगरानी– कर्तागण को पट्टे दिनांक 05.03.2019 को जारी किये गये।

उपर्युक्त नजीरों में से नजीर संख्या 01 व 03 हस्तगत प्रकरण में समान प्रकृति के तथ्यों के कारण निम्नलिखित नजीरें चस्पा होती है:–

नजीर संख्या –01

Ghewar Chand & Anr. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 8887/2017 "पट्टा का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता– पट्टा निरस्त करने हेतु पट्टा का रजिस्ट्रेशन आधार नहीं होगा।"

नजीर सख्या –08

Pragchand VS State & Ors. D.B. Civil Writ Petition N0. 549/2009 "राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम,1994 धारा 97–पट्टे निरस्त करना–ग्राम पंचायत ने 18.12.1949 को विवादित भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 को आवंटित की– ग्राम पंचायत पुनः उसी भूमि का पट्टा 03.11.1981 को प्रत्यार्थी के पक्ष में जारी किया–पुनरीक्षण में अतिरिक्त कलेक्टर ने धारा 97 के तहत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए पट्टे निरस्त किये–अभिनिर्धारित– उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय करने हेतु उपलब्ध ही नहीं थी क्योंकि उसेा तो 18.12.1949 में ही प्रत्यार्थी संख्या 2 को आवंटित की जा चुकी थी–ग्राम पंचायत ने इस बात का खड़न भी नहीं किया इसके विपरीत उसने अनुपस्थित रहने का ही विकल्प चुना–यह एक मिली भगत का मामला है–प्रतिकूल अनुमान लगाते हुए याचिका रूपये 5000/– की कीमत सहित खारिज की।

इस विवादित भूखण्ड में एक दावा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर की अदालत में जैरकार है, जो मु.नं. 22/2022 के रूप में दर्ज है। जिसमें निगरानीकर्ता को अपने आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा निगरानी के तहत वर्णित/आक्षेपित गैर निगरानीकर्ता नम्बर 03–04 को जारी पट्टा विहित प्रावधानों एवं प्रकिया / मार्गदर्शक सिद्वांतों की अवहेलना कर जारी किये गये है इसलिए इन्हे बहाल रखा जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन पट्टा सख्या 26 व 27 दिनांक 05.03.2019 (अक्रमांकित एवं बिना स्पष्ट हदूदों के विवरण) जो गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 व 04 के नाम जारी है, खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्री गंगानगर